



2026:AHC-LKO:3919-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
जनहित याचिका संख्या – 37659/2018

नवीन प्रकाश श्रीवास्तव

...याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग एवं अन्य

... प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता: – बृजेश कुमार सिंह, मनुवेन्द्र सिंह

विपक्षी (गण) के अधिवक्ता :- मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या – 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन रॉय

माननीय न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी

1. वाद सुना।
2. राज्य की ओर से अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता सुश्री आकांक्षा दुबे ने यह सूचित किया कि वर्ष 2021 में संक्षिप्त प्रतिशपथपत्र दाखिल करते समय, दिनांक 30.06.2021 तक पुल का 22% निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका था। आज टेलीफोन द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुसार, लगभग 81% निर्माण कार्य पहले ही पूर्ण हो चुका है। जून 2026 तक इसके पूर्ण होने की आशा है।
3. उपरोक्त के दृष्टिगत, हमारे पास यह मानने का कोई कारण नहीं है कि पुल का निर्माण उपरोक्त समयसीमा के अनुसार नहीं होगा। यदि तब तक यह पूर्ण नहीं होता है, तो याचिकाकर्ता पुनः न्यायालय ले समक्ष उपस्थित हो सकता है।
4. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

(न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी) (न्यायमूर्ति राजन रॉय)

19 जनवरी, 2026

पीयूष

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।